रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032022-234686 CG-DL-E-30032022-234686

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1459] No. 1459] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

का.आ. 1511(अ).—िवत्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 80 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा 1 जून, 2022 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जिस तारीख से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में एक नया अध्याय VIIA को अन्तर्स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 442/02/2017-सीमाशुल्क IV (पार्ट)]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव

2271 GI/2022 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2022

S.O. 1511(E).—In exercise of the powers conferred by section 80 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government hereby appoints the 1st June, 2022, as the date from which the new chapter VIIA shall be inserted in the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. 442/02/2017-Cus IV (Pt)]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy.